

## प्रेस नोट

दिनांक- 22.07.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 242/20 धारा 376,120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पीपरपुर में अभियुक्त 1.जितेन्द्र कुमार उपाध्याय उर्फ मुन्ना पुत्र रामाशंकर, 2.शुभम मौर्या पुत्र गुरुचरन मौर्या निवासीगण भोजपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे-12 पाक्सो एक्ट सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्तों को आज दिनांक 22.07.2022 को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपया के अर्थदंड से दण्डित किया गया अर्थदंड न अदा करने पर 20 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

### घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादिनी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 18.07.2020 को समय 14:10 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी के साथ अभियुक्त 1.जितेन्द्र कुमार उपाध्याय उर्फ मुन्ना पुत्र रामाशंकर 2.शुभम मौर्या पुत्र गुरुचरन मौर्या निवासीगण भोजपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी द्वारा दुष्कर्म करने कि इस सूचना पर थाना पीपरपुर में मु0अ0सं0 242/20 धारा 376,120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत करके विवेचना थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्या ए-284 दिनांक 30.09.2020 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी।